सूचना

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी को समय-समय पर अपडेट करता रहता है. बैंक उन पुराने ग्राहकों के साथ सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में है जिनका हमारे बैंक में बचत बैंक और/या चालू जमा खाता है लेकिन लंबे समय से अपने खातों का संचालन नहीं कर रहे हैं.

उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के भाग के रूप में, बैंक ने शून्य शेष राशि वाले खातों की पहचान की है और जो 01.07.2014 से 30.06.2019 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच निष्क्रिय हो गए हैं, बैंक उन ग्राहकों से संपर्क कर उनके साथ संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है (सूची संबंधित शाखाओं में प्रदर्शित की गई है).

ऐसे सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि हम उन ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को जारी रखने के इच्छुक हैं जो अपने शून्य शेष निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना चाहते हैं और हम ऐसे सभी ग्राहकों को सलाह देते हैं कि इस नोटिस से 30 दिनों के भीतर वे अपने केवाईसी को अपडेट कर फिर से संचालन शुरू करने के लिए संबंधित / निकटतम शाखा से संपर्क करें.

ग्राहक, जो बैंक से संपर्क करने के इच्छुक नहीं है/ संपर्क करने में असफल होते हैं/अपने निष्क्रिय खातों को संचालित करने में असमर्थ हैं, वे ध्यान दें कि उनके खातों को बंद श्रेणी में माना जाएगा और बैंक 30 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे सभी खातों का एक अलग डाटा बना कर रख सकता है . हालांकि ऐसे ग्राहक केवाईसी आवश्यकताओं का पालन करके नया खाता खोलने के लिए स्वतंत्र हैं.